संस्थागत वित्त संचालनालय
मध्य प्रदेश

वेब साइट: www.dif.mp.gov.in

राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ
ग-खण्ड, प्रथम तल,
विन्ध्याचल भवन, भोपाल- 462003
दूरभाष- 0755-2551199, 2552003
फेक्स- 0755-2551387
ई-मेल: difbho@mp.gov.in

क्र.आरआरसी-आरसीएमएस/संवित्त/2017/262 भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018

प्रति

कलेक्टर
जिला (समस्त)
मध्य प्रदेश ।

विषय: **तहसील एवं अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर बैंक आर.आर.सी. के विरूद्ध आर.सी.एम.एस. के माध्यम से मांग-पत्र जारी करने की नवीन व्यवस्था ।**

प्रदेश में बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली में हेतु म.प्र. लोक धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम,1987 एवं नियम,1988 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2010-11 से ऑन-लाइन आर.आर.सी. प्रोसेसिंग साफ्टवेयर (बेव इनेबिल्ड ब्रिस्क साफ्टवेयर एप्लीकेशन) क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसकी सहायता से बैंक शाखाओं द्वारा वसूली हेतु जिला प्रशासन को आर.आर.सी. प्रेषण, जिला प्रशासन द्वारा आर.आर.सी. की स्वीकृत/अस्वीकृति, तहसील स्तर पर स्वीकृत आर.आर.सी. के विरूद्ध राजस्व अधिकारियों द्वारा चूककर्ताओं को मांग-पत्र जारी करना, जारी मांग-पत्रों के विरूद्ध अर्जित वसूली तथा कोषालय में जमा की गई देय कार्यवाही खर्च एवं आदेशिका फीस की राशि का विवरण बैंक शाखा द्वारा साफ्टवेयर में दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

बैंक आर.आर.सी. के विरूद्ध राजस्व अमले द्वारा भू-राजस्व के रूप में वसूली की जाती है, राजस्व विभाग द्वारा राजस्व अमले द्वारा किये जाने वाले कार्यो हेतु Revenue Case Management System (आर.सी.एम.एस.) साफ्टवेयर क्रियान्वित किया जा रहा है । **प्रदेश में बैंक वसूली को गति प्रदान करने हेतु** राजस्व अमले की सुविधा हेतु बैंक आर.आर.सी. (रेव्न्यू रिकवरी सर्टिफिकेट) के विरूद्ध चूककर्ताओं को वसूली हेतु जारी किये जाने वाले मांग पत्र/अन्य प्रपत्र प्राप्त कर जारी करने की **सुविधा ऑन-लाइन आर.आर.सी. एवं आर.सी.एम.एस. साफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर उपलब्ध कराई गई है, प्रक्रिया संलग्न पत्रक-अ अनुसार होगी, साथ ही सहायता हेतु यूजर मेनुअल संलग्न प्रेषित है ।**

अतः अनुरोध है कि जिले के समस्त तहसील एवं अधीनस्थ न्यायालयों को आर.सी.एम.एस. के माध्यम से बैंक आर.आर.सी. के विरूद्ध वसूली हेतु जारी किये जाने वाले मांग पत्र प्राप्त कर जारी करने हेतु निर्देश प्रसारित करें । आर.आर.सी. साफ्टवेयर के तहसील स्तरीय उपयोगकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य उपयोगकर्ताओं हेतु प्रक्रिया पूर्व अनुसार ही रहेगी ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार ।

(सतीश कुमार गुप्ता)
संयुक्त संचालक
संस्थागत वित्त,म.प्र.

क्र.आरआरसी-आरसीएमएस/संविसं/2017/.....263 भोपाल, दिनांक18 जनवरी 2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैप आईटी, अरेरा हिल्स, भोपाल ।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एवं उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, मध्य प्रदेश राज्य इकाई, विन्ध्याचल भवन, भोपाल ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक निर्देश प्रशारित करने हेतु ।

4. भारतीय रिजर्व बैंक, मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
5. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश,
6. राज्य स्तरीय बैंक प्रमुख (समस्त)
   a. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
   b. निजी क्षेत्र के बैंक
   c. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
7. जिला अग्रणी प्रबंधक (समस्त), मध्य प्रदेश ।

संयुक्त संचालक
संस्थागत वित्त, म.प्र.

प्रपत्र-अ

तहसील कार्यालय

1. आरसीएमएस एप्लीकेशन में **पी.ओ.(पीठासीन अधिकारी)** लॉगिन उपरान्त **बैंक आर.आर.सी.** विकल्प चुने ।
2. **बैंक आर.आर.सी.** चयन उपरान्त निम्नानुसार तीन विकल्प (a,b&c) प्रदर्शित होंगे:-

a. अधीनस्थ न्यायालयों को स्थानान्तरित करें

I. इस विकल्प में जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा स्वीकृत आरआरसी प्रदर्शित होंगी ।

II. दर्शित आरआरसी तहसील के अधीनस्थ न्यायालयों को चूककर्ताओं के दर्शायें गये निवास स्थान (पता) के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों को स्थानान्तरित करें ।

III. दर्शित आरआरसी को बैंकवार फिल्टर करके एक साथ भी अधीनस्थ न्यायालयों को स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

b. बैंक आर.आर.सी. के दर्ज प्रकरण

I. इस विकल्प में दर्ज आरआरसी जिनके आरसीएमएस केस नं. जनरेट हो चुके हैं प्रदर्शित होंगे ।

II. दर्ज आरआरसी में तहसील स्तर पर भी मांग पत्र प्रारूप-2/प्रारूप-3 में प्राप्त कर जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

III. **अन्य प्रारूप** कालम में भू-राजस्व संहिता के प्रारूप समाहित किये गये है, जिन्हें आवश्यकतानुसार राजस्व अधिकारी वसूली की कार्यवाहियों के लिये उपयोग कर सकते हैं ।

c. निस्तारण हेतु उपलब्ध आर.आर.सी.

I. इस विकल्प में निस्तारण योग्य आरआरसी की सूची प्रदर्शित होगी ।

II. प्रदर्शित निस्तारण योग्य आरआरसी को निस्तारित करने हेतु "***निस्तारण हेतु चुने***" पर क्लिक कर टीप दर्ज करते हुये निस्तारण की कार्यवाही करें ।

(निस्तारित करते समय सुनिश्चित कर लें कि निस्तारित की जा रही आरआरसी में वसूली की दर्ज राशि एवं वसूली के विरूद्ध देय 3% कार्यवाही खर्च की राशि कोषालय में जमा की गई राशि प्रदर्शित हो रही है अथवा नहीं । जमा राशि दर्शित होने पर ही निस्तारण करें)

अधीनस्थ न्यायालय कार्यालय (रीडर)

1. लॉगिन उपरान्त **बैंक आर.आर.सी. देखें** विकल्प का चयन करें:-

I. अधीनस्थ न्यायालय में स्थानान्तरित आरआरसी प्रकरण, जिनके सम्मुख दर्शित **केस नंबर बनाए** क्लिक कर आरसीएमएस केस नम्बर जनरेट करें (जिनके अभी तक जनरेट नहीं हुये हों)।

2. **प्रारूप-2 एवं प्रारूप 3 जनरेट करें** विकल्प का चयन करें

I. आरआरसी जिनके आरसीएमएस केस नम्बर उपलब्ध है के **प्रारूप 2 जनरेट करें** विकल्प की सहायता से प्रारूप-2 में मांग पत्र बनायें ।

II. मांग पत्र जनरेट करते समय वसूली अधिकारी (जिसके द्वारा वसूली की जानी है) का कोड (ट्रेजरी इम्पलाई कोड) एवं मांग की तारीख(डिमाण्ड डेट उपलब्ध कलेण्डर की सहायता से) दर्ज कर प्रारूप प्रिन्ट करें एवं वसूली अधिकारी के हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत करें।

III. हस्ताक्षरित प्रारूप (मांग पत्र) चूककर्ताओं को तामील करने की कार्यवाही करें ।